पीठसीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघैल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 25 / 18 उनवान राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद बनाम रवि गुर्जर एवं अन्य का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक के भाई विनोद सिंह का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन है और इस आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है। ऐसा ही अभिलेख से स्मष्ट है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। झूठे अपराध के आधार पर पुलिस गोहद द्वारा आवेदक को दिनांक 15.12.17 को गिरफ्तार कर लिया गया है तब से वर्तमान तक आवेदक उपजेल गोहद में बंदी है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन की ओर से आवेदन का घोर विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 13.12.17 को फरियादिया राजेश्वारी राठौर के मकान स्थित गंज मोहल्ला गोहद से रात्रि में दो जोड़ी झुमकी सोने की, एक मंगलसूत्र सोने का, दो लेडीज अंगूठी सोने की, तीन जोडी तोडियां चांदी की, एक जोडी पाजेब, एक करधोनी बेल्ट वाली तथा 9 हजार रुपए की चोरी हो गयी थी जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद में दर्ज करायी थी।

दौराने अनुशंधान यह तथ्य सामने आये कि उक्त चोरी आवेदक रिव गुर्जर, बल्लो उर्फ बलवीर, सुभाष उर्फ रट्टी एवं जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर के द्वारा की गयी थी। बल्लो उर्फ बलवीर के आधिपत्य से एक जोडी चांदी जैसी तोडियां, एक जोडी चांदी जैसी पाजेब, अभियुक्त रिव सिंह गुर्जर के आधिपत्य से एक जोड़ी चांदी जैसी तोडियां, एक अंगूठी सोने जैसी, सुभाष उर्फ रटटी से एक जोड़ी झुमकी सोने जैसी, एक मंगलसूत्र सोने जैसा एवं जितेन्द्र उर्फ जीतू से एक करधोनी चांदी जैसी, एक लेडीज अंगूठी सोने जैसी जप्त किये गये हैं।

इस न्यायालय के समक्ष जीतू उर्फ जीतेन्द्र गुर्जर के संबंध में एक अन्य जमानत आवेदन भी प्रस्तुत हुआ है जो मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 26 / 18 में हैं जिससे कि स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. का अन्य प्रकरण भी हैं जिसमें सोने एवं चादी के जेवरात एवं नकद राशि की चोरी की गयी है। अतः मामले की इन परिस्थितियों, तथ्यों, आवेदक के कृत्य और आवेदक का आपराधिक इतिहास देखते हुए उसे जमानत आवेदन का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

्वापिस की जावे। व्यापेस की जावे। व्यापेस पत्रिका एवं जमा मोहम्मद अजहर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।